

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 1 फरवरी 2023—माघ 12, शक 1944

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2023

एफ 10-3-2022-सत्रह-मेडि-2.—इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ-10-3-2022-सत्रह-मेडि-2, दिनांक 19 मई 2022 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) अधिनियम, 2021 की धारा 3 (2C) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मेडिकल बोर्ड (गर्भ का चिकित्सीय समापन) का शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, सागर, जबलपुर, रीवा, विदिशा, दतिया, खण्डवा, रतलाम, छिन्दवाड़ा, शिवपुरी एवं शहडोल स्तर पर गठन करता है. मेडिकल बोर्ड (गर्भ का चिकित्सीय समापन) की संरचना निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:—

1. विभागाध्यक्ष, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय.
2. विभागाध्यक्ष, शिशु रोग विभाग, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय.
3. विभागाध्यक्ष, रेडियो डायग्नोसिस, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय.
4. विभागाध्यक्ष, जनरल सर्जरी/पैथोलॉजी विभाग, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय.

मेडिकल बोर्ड (गर्भ का चिकित्सीय समापन) की शक्तियां और कृत्य गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) नियम, 2021 के नियम 3A अनुसार होगी.

अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी एवं आगामी आदेश तक विद्यमान रहेगी.

F-10-3-2022-XVII-M-2.—The State Government hereby in supersession of the order F-10-3-2022-XVII-M-2, dated 19th May 2022 hereby in exercise of the powers conferred by Section 3(2C) of the Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Act., 2021, Constitutes Medical Board (Medical Termination of Pregnancy) at Government Medical College, Bhopal, Indore, Gwalior, Sagar, Jabalpur, Rewa, Vidisha, Datia, Khandwa, Ratlam, Chhindwara, Shivpuri and Shahdol. The constitution of the constitutes Medical Board (Medical Termination of Pregnancy) is provided as follows:—

1. Head of the department of Obstetrics and Gynecology Government Medical College.
2. Head of the department of Pediatrics Government Medical College.
3. Head of the department of Radiodiagnosis Government Medical College.
4. Head of the department General Surgery/Pathology Government Medical College.

The powers and functions of the Medical Board (Medical Termination of Pregnancy) shall be as per Rules 3A of the Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Rules, 2021.

The notification shall come into force immediately and shall remain valid till further orders.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुदाम खाड़े, सचिव.